



बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना

(DEPT. OF HR & ADMINISTRATION)

(Regd. Office:- Vidyut Bhawan, Bailey Road, Patna)

Contact No.: 7763817975, 7763818077, email-dgmhr1015.bsptcl@gmail.com, website-www.bsptcl.in

TIN VAT NO-10011257007, TIN CST NO-10011146136, CIN- U74110BR2025SGC018889

पत्रांक- T-I/PF/EEE-19006/19

पटना, दिनांक-

प्रेषक,

शशिकान्त कुमार,
अवर सचिव

सेवा में,

श्रीमती निमिषा कुमारी,
विद्युत अधीक्षण अभियंता (Training & ERP),
संचरण कंपनी, मुख्यालय, पटना।

विषय- आपके द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन दिनांक 23.06.2025 पर सुनवाई के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन दिनांक 23.06.2025 पर अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक-सह-अपीलीय प्राधिकार द्वारा दिनांक 13.08.2025 को सुनवाई की गई। उक्त प्रसंग में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक-सह-अपीलीय प्राधिकार द्वारा लिये गये निर्णय/आदेश की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

अनु.- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह./-

(शशिकान्त कुमार)
अवर सचिव

ज्ञापांक- _____/पटना

दिनांक- _____

प्रतिलिपि- अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान आस सचिव, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड, पटना/ प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना/ प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना/ प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना/ प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु.- यथोक्त।

ह./-

(शशिकान्त कुमार)
अवर सचिव

ज्ञापांक- _____/पटना

दिनांक- _____

प्रतिलिपि- महाप्रबंधक (मा.सं./प्रशा.), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड, पटना/ महाप्रबंधक (मा.सं./प्रशा.), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना/ महाप्रबंधक (मा.सं./प्रशा.), साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना/ महाप्रबंधक (मा.सं./प्रशा.), नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना/ महाप्रबंधक (मा.सं./प्रशा.), बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु.- यथोक्त।

ह./-

(शशिकान्त कुमार)
अवर सचिव

कृ.पू.उ.

जापांक- 2275 /पटना

दिनांक- 09/09/2025

प्रतिलिपि- निदेशक (परियोजना)/ निदेशक (परिचालन)/सभी मुख्य अभियंता/ महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/ उपमहाप्रबंधक (मा.सं./प्रशा.), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना/सभी महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता, संचरण जोन/प्रशासक (मास्टर ट्रस्ट), बिहार स्टेट पावर (होल्टिंग) कंपनी लिमिटेड, पटना/ सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता, संचरण अंचल/वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/डी.बी.ए./सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल/सभी सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल/सभी लेखा पदाधिकारी, संचरण अंचल/लेखा पदाधिकारी (स्थापना)/सभी अवर सचिव/प्रशासी पदाधिकारी (ERP)/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना/ श्रीमती निमिषा कुमारी (Emp.ID- E01122), प्रभारी विद्युत अधीक्षण अभियंता (प्रशिक्षण), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, BSPTCL से अनुरोध है कि इसे कंपनी के वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा की जाय।

अनु.- यथोक्त।

(शशिकान्त कुमार)
अवर सचिव

09.09.25

आदेश

श्रीमती निमिषा कुमारी, तदेन विद्युत कार्यपालक अभियंता, एस०एल०डी०सी० सम्प्रति प्रभारी विद्युत अधीक्षण अभियंता (प्रशिक्षण) को बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना के संकल्प संख्या 633 दिनांक 07.03.2025 द्वारा अधिरोपित शास्ति के विरुद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन के आलोक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 13.08.2025 को सुनवाई की गई।

श्रीमती निमिषा कुमारी, तदेन विद्युत कार्यपालक अभियंता को बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड की अधिसूचना संख्या 2064 दिनांक 15.11.2021 द्वारा श्रीमती निमिषा कुमारी को दिनांक 09.10.2021 से 17.12.2021 तक शिशु देखभाल स्वीकृत किया गया था। पुनः श्रीमती कुमारी द्वारा ईमेल के माध्यम से दिनांक 18.12.2021 से अवैतनिक अवकाश पर जाने की अनुमति प्रदान करने हेतु दिनांक 17.12.2021 को संध्या 04:20 बजे ईमेल के माध्यम से कम्पनी के एस०एल०डी०सी० विभाग के ईमेल पर आवेदन समर्पित किया गया एवं श्रीमती कुमारी द्वारा प्रार्थित अवकाश की स्वीकृति के बिना ही दिनांक 18.12.2021 से 06.08.2024 तक कार्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के पश्चात दिनांक 07.08.2024 को कम्पनी मुख्यालय में योगदान समर्पित किया गया।

योगदान समर्पित करने के उपरान्त मानव संसाधन स्तर पर की गई समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्रीमती निमिषा कुमारी द्वारा बिना पूर्वानुमति प्राप्त किये ही लगभग 2 वर्ष 7 माह तक अपने कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहीं। कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप संकल्प संख्या 3184 दिनांक 06.12.2024 द्वारा उपर्युक्त आरोपों के लिए श्रीमती निमिषा कुमारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

जांच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में आरोपों को अंशतः प्रमाणित होने का निष्कर्ष समर्पित किया गया। जांच प्रतिवेदन एवं अन्य अभिलेखों के सम्यक समीक्षोपरान्त जांच पदाधिकारी के निष्कर्ष से असहमत होते हुए असहमति के कारणों के साथ अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संकल्प संख्या 350 दिनांक 05.02.2025 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा निर्गत की गई। प्राप्त उत्तर को अविचारणीय पाते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संकल्प संख्या 633 दिनांक 07.03.2025 द्वारा श्रीमती निमिषा कुमारी को प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए "अगले दो वेतन वृद्धि पर संचयी प्रभाव से रोक" की शास्ति अधिरोपित की गई।

अपने अपील अभ्यावेदन में अपीलार्थी द्वारा संकल्प संख्या 633 दिनांक 07.03.2025 द्वारा अधिरोपित शास्ति के अतिरिक्त अधिसूचना संख्या 1214 दिनांक 15.05.2025 द्वारा अनाधिकृत



रूप से अनुपस्थिति की अवधि को विनियमित किये जाने के निर्णय को भी अंकित करते हुए अधिरोपित दण्ड से मुक्त करने का अनुरोध किया गया। उल्लेखनीय है कि श्रीमती निमिषा कुमारी द्वारा अधिरोपित शास्ति के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-23 के प्रसंग में अपील समर्पित किया गया है। नियमानुसार अपील का विचारण अधिरोपित शास्ति तक ही सीमित है। अधिसूचना संख्या 1214 दिनांक 15.05.2025 जिसके द्वारा अपीलार्थी के अनाधिकृत अनुपस्थिति को विनियमित करने का निर्णय लिया गया है, वर्तमान अपील के अंतर्गत विचारण का विषय नहीं है।

उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों से यह स्पष्ट है कि श्रीमती निमिषा कुमारी जो पूर्व से शिशु देखभाल अवकाश पर थीं, के द्वारा दिनांक 17.12.2021 को ईमेल के माध्यम से दिनांक 18.12.2021 से अवैतनिक अवकाश पर प्रस्थान करने की अनुमति हेतु अनुरोध किया गया। श्रीमती निमिषा कुमारी द्वारा अपने आवेदन में अवकाश अवधि का कोई उल्लेख नहीं किया गया था, ना ही अवकाश स्वीकृति हेतु कोई स्वीकार योग्य अभिलेखीय साक्ष्य संलग्न किया गया। उपलब्ध अभिलेखों से यह भी स्पष्ट है कि श्रीमती निमिषा कुमारी द्वारा उक्त आवेदन के उपरान्त पुनः कोई सूचना अवकाश विस्तार के संबंध में नहीं दी गई तथा लगभग दो वर्ष सात माह के उपरान्त दिनांक 07.08.2024 को उनके द्वारा योगदान समर्पित किया गया। किसी पदाधिकारी के इतनी लम्बी अवधि तक कर्तव्य से अनुपस्थिति के उपरान्त कार्यालय स्तर से कोई कार्रवाई नहीं किया जाना एक गंभीर स्थिति को दर्शाता है।

सुनवाई के क्रम में श्रीमती निमिषा कुमारी द्वारा यह बताया गया कि वे इतनी लम्बी अवधि तक अपने पुत्र की चिकित्सा हेतु अवकाश पर थीं। दिनांक 06.08.2024 को चिकित्सक द्वारा उनके पुत्र की स्वास्थ्य सुधार को सामान्य पाने पर और अग्रतर विशेष पैतृक देखभाल की आवश्यकता नहीं बताने पर उनके द्वारा दिनांक 07.08.2024 अपने कर्तव्यों पर योगदान समर्पित किया गया। श्रीमती निमिषा कुमारी, विद्युत कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापित थीं यदि उन्हें परिस्थिति विशेष में अवकाश रहने की आवश्यकता थी तो उनका कर्तव्य था कि वे नियमों का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकार से अवकाश स्वीकृति प्राप्त करतीं तथा समय-समय पर अवकाश विस्तार की सूचना कार्यालय को उपलब्ध करातीं परन्तु वे एक लम्बी अवधि तक अनाधिकृत रूप से अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहीं।

उपलब्ध अभिलेखों से यह भी स्पष्ट है कि श्रीमती निमिषा कुमारी अपने पुत्र के स्वास्थ्य देखभाल हेतु अवकाश पर रही थीं। अतः उपर्युक्त एवं सम्पूर्ण तथ्यों/अभिलेखों पर



सम्यकरूपेण विचार करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संकल्प संख्या 633 दिनांक 07.03.2025 द्वारा अधिरोपित "संचयी प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति" को प्रमाणित पाये गये आरोपों के परिपेक्ष्य में कठोर पाते हुए "दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक" की शास्ति के रूप में परिवर्तित किया जाता है।

तदनुसार, उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में श्रीमती निमिषा कुमारी, तदेन विद्युत कार्यपालक अभियंता, एस०एल०डी०सी० सम्प्रति प्रभारी विद्युत अधीक्षण अभियंता (प्रशिक्षण) को बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना के संकल्प संख्या 633 दिनांक 07.03.2025 द्वारा अधिरोपित शास्ति के विरुद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन निष्पादित किया जाता है।

12/09/2025
(मनोज कुमार सिंह)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक